भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2341

उत्तर देने की तारीख : 1 अगस्त, 2022

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

2341. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस :
श्री राजन बाबूराव विचारे :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
डॉ.अमोल रामसिंह कोल्हे :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
डॉ.सुभाष रामराव भामरे :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विरासत संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो एनसीएफ के अंतर्गत निधियों के आवंटन के लिए अपनाए गए दिशानिर्देश/मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या एएसआई और प्रायोजक संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी के कारण पीपीपी आधारित स्मारकों के संरक्षण की कई परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एनसीएफ द्वारा वित्तपोषित पीपीपी संरक्षण परियोजनाओं की गुणवत्ता निम्न दर्जे की बताई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ड़) सरकार द्वारा एनसीएफ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उसके कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने देश में विगत तीन वर्षों के दौरान नए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(जी. किशन रेड्डी)

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) के माध्यम से अतिरिक्त

संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत 28 नवम्बर, 1996 को एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना की है। कोई भी दानकर्ता/प्रायोजक एनसीएफ में अंशदान देते समय किसी विशिष्ट स्थान/पहलू के साथ परियोजना और उस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अभिकरण की सूचना भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक और द्वितीयक समग्र निधि में से प्राप्त ब्याज का उपयोग भी संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े कार्यकलापों के लिए किया जाता है।

(ग) से (ड.) : जी, नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनसीएफ से सहायता प्राप्त एएसआई की परियोजनाएं विलंबित न हो, महानिदेशक, एएसआई की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है और यदि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाता है।

(च) : जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा देश में पहचान किए गए इस प्रकार के सभी नए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों का विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय संस्कृति कोष के संबंध में दिनांक 1 अगस्त, 2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए जा सकने वाले स्मारकों के रूप में पहचान किए गए स्मारकों/स्थलों का विवरण

क्र. सं.	**राज्य**	**स्मारक का नाम और स्थान**	**जिला**
1.	आंध्र प्रदेश	चिंताकुंटा में शैल चित्र	वाई. एस. आर. कडपा
2.	दिल्ली	अनंगताल सहित प्राचीन टीला	दक्षिण दिल्ली
3.	गुजरात	प्राचीन स्थल, खीरसरा	कच्छ
4.	हरियाणा	राखीगढ़ी में प्राचीन टीले 6 और 7	हिसार
5.	हिमाचल प्रदेश	कालेश्वर महादेव मंदिर, कालेसर (मनयाला पंचायत)	कांगड़ा
6.	झारखंड	दोयसा नगर, नवरत्नगढ़, सिसाई में टेराकोटा ईंटों का मंदिर	गुमला
7.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	रडानाग में शैल कला स्थल मुरगी	लेह
8.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	प्राचीन गुफाएं ससपोल/गोन-निला-फुक ध्यान गुफाएं ससपोल	लेह
9.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	प्राचीन बौद्ध संस्थान के अवशेष, न्यारमा	लेह
10.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	तिरिशा स्तूप के साथ लगे अवशेष तथा पवित्र झील के आस-पास प्रागैतिहासिक स्थल	लेह
11.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	स्कुरबुचान में प्राचीन खार (किला)	लेह
12.	मिजोरम	लुंगफुनलियान में प्राचीन मेनहिर	चम्फाई
13.	मिजोरम	दुंगतलांग में प्राचीन मेनहिर और बस्ती	चम्फाई
14.	मिजोरम	फरकावान में प्राचीन मेनहिर और शैल नक्काशी	चम्फाई
15.	पंजाब	पुरातत्व स्थल और अवशेष, मसोल	मोहाली
16.	उत्तर प्रदेश	गणेशबाग में पुरातात्विक स्थल, तालाब टंकी और बावली	चित्रकूट
17.	उत्तर प्रदेश	नक्कार खाना	लखनऊ
18.	उत्तराखंड	तुंगनाथ मंदिर	रुद्रप्रयाग
19.	उत्तराखंड	प्राचीन नौला गांव स्यूनराकोट	अल्मोड़ा
20.	उत्तराखंड	केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित कुबेर मंदिर स्मारक के पास स्थित चार मंदिर	अल्मोड़ा